

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/एपीओ/2020-21 दिनांक: 03.09.2020 द्वारा RAJESH KHATTI व्याख्याता रसायन विज्ञान को प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर किया गया था। RAJESH KHATTI ने उक्त एपीओ आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर में अपील संख्या 1646/2021 राजेश खल्ली बनाम सरकार व अन्य दायर की।

अपील संख्या 1646/2021 में माननीय अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 18.03.2021 द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 03.09.2020 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 15.03.2021 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रखते हुए स्पष्ट किया कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जाए जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था तथा प्रत्यर्थी विभाग को नियमानुसार पुनः पदस्थापन करने हेतु स्वतंत्र रखा है।

अतः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2021 की अनुपालना में RAJESH KHATTI व्याख्याता रसायन विज्ञान का समायोजन राउमावि, चुडीमियां, फतेहपुर, सीकर से GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL FALWA (214985), ANANDPURI (08280503211) (BAGIDORA) (ST) BANSWARA में व्याख्याता रसायन विज्ञान के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाकर इन्हें आदेशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति अपने नवीन समायोजित स्थान पर दें।

संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि इनकी कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर दर्ज करावें एवं इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवे।

(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:- 09/04/21

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-4/रजीगृ/राजेश खल्ली/1648/को.के/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।
10. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर